भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1720

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

1720. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत के कोयला क्षेत्र के प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला खदानों की स्टार रेटिंग नीति का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आत्मनिर्भर भारत के लिए कोयला क्षेत्र का योगदान कितना है; और

(घ) कदाचार के आरोपों से निपटने के लिए कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): देश में कोयला उत्पादन वर्ष 2021-22 में बढ़कर 778.19 मि.ट. हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 716.08 मि.ट. था। यह पिछले वर्ष नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 में कोयला उत्पादन में 8.5% की उल्लेखनीय वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 में 691 मि.ट. की तुलना में वर्ष 2021-22 में कोयले का कुल प्रेषण/ऑफटेक 819 मि.ट. था जो 18.5% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख): सभी प्रचालनरत कोयला खानों के लिए स्टार रेटिंग नीति के तहत ओपनकास्ट खानों में 50 मूल्यांकन मानकों और भूमिगत खानों में 45 ऐसे मानकों को सात व्यापक मॉड्यूलों अर्थात खनन संचालन संबंधित मापदंडों, पर्यावरण संबंधी मापदंड, प्रौद्योगिकियों को अपनानाः सर्वोत्तम खनन पद्धति, आर्थिक कार्य-निष्पादन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी मापदंडो, कामगार से संबंधित अनुपालन और संरक्षा तथा सुरक्षा संबंधी मापदंडों के तहत परिकल्पित किया गया है।

कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

<u>सिंगल विंडो क्लीयरेंसः</u> कोयला खानों के संचालन में तेजी लाने हेतु केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल प्रारंभ किया है। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो भारत में कोयला खान शुरू करने के लिए आवश्यक अनापत्ति और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना सुलभ कराता है। अब, सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाएगा, जो न केवल संगत आवेदन प्रारूपों की रूपरेखा तैयार करेगा, बल्कि अनुमोदन या मंजूरी प्रदान करने की

प्रक्रिया भी सुगम बनाएगा। खनन योजना अनुमोदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और इसे एक ऑनलाइन प्रक्रिया में परिवर्तित किया गया है।

<u>एमएमडीआर अधिनियम, 1957 का संशोधनः</u> खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1957 तथा एमसीआर, 1960 में आवश्यक संशोधन किया गया है ताकि अंत्य उपयोग से संबद्ध संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद 50% वार्षिक उत्पादन तक कोयले एवं लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति दी जा सके और पट्टे की अवधि को भी 50 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है।

<u>ई-नीलामीः</u> कोयला कंपनियों द्वारा एक ई-नीलामी विंडो के माध्यम से सभी गैर-लिंकेज कोयले की पेशकश की गई है जो सभी क्षेत्रों अर्थात विद्युत क्षेत्र और व्यापारियों सहित एनआरएस की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

उपरोक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने अधिकतम बयाना राशि (ईएमडी) को 1.00 करोड़ रूपए से घटाकर 50.00 लाख रूपए कर दिया है; ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है; असफल बोलीदाताओं की ईएमडी स्वतः वापस कर दी जाती है, मौजूदा अनुबंधों और दिनांक 31.03.2023 तक आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए सुरक्षा जमा राशि को 10% अनुबंध मूल्य से घटाकर 3% अनुबंध मूल्य कर दिया गया है; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए निविदाओं में भाग लेने हेतु पूर्व अनुभव और टर्नओवर के मानदंड में छूट दी गई है, और एमएसई तथा स्टार्टअप को भी निविदाओं के लिए बयाना राशि जमा करने से छूट दी गई है। प्रवेश बाधाओं को कम करने के लिए कार्यों और सेवा अनुबंधों के मामले में विभिन्न निविदा पात्रता मापदंडों में भी छूट दी गई है।

(ग): कोयले के आयात पर अंकुश लगाने और कोयले की खपत के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कोयला कंपनियों को बढ़ा हुआ उत्पादन लक्ष्य दिया गया है, कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है, कोयला गैसीकरण मिशन भी शुरू किया गया है और कोयला निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की गई है।

(घ): कदाचार के आरोपों से निपटने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं।

1. **ई-प्रापण** : एनआईसी प्लेटफॉर्म पर सभी कोयला कंपनियों में वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों के प्रापण के लिए ई-प्रापण को लागू किया गया है। यह पूरी तरह से स्वचालित ऑनलाइनट प्लेटफॉर्म है, इसने क्रेता और विक्रेता के बीच मानवीय इंटरफेस को समाप्त कर दिया है और यह प्रापण संबंधी सभी लेन-देन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके साथ-साथ रिवर्स नीलामी की विधि का उपयोग व्यवस्थित बोली लगाने और 50 लाख रूपए से अधिक की लागत वाली वस्तुओं के प्रापण में सही कीमतों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इस पद्धति के परिणामस्वरूप समय और धन की बहुत अधिक बचत हुई है।

2. **जेम पोर्टल** : भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोयला कंपनियां वर्ष 2017 से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए जेम पोर्टल का उपयोग कर रही हैं।

3. **ईएमडी का ऑन लाइन ऑटो रिफंड**: एनआईसी ई-प्रापण पोर्टल में असफल बोलीदाताओं को बयाना जमा राशि के ऑनलाइन ऑटो रिफंड की सुविधा का उपयोग कोयला कंपनियां द्वारा किया जाता है।

4. **बिल-ट्रैकिंग सिस्टम** : एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है, जहां अपना बिल जमा करने वाले विक्रेता प्रक्रिया और भुगतान की वर्तमान स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली बिल प्रोसेसिंग में और भुगतान जारी करने में पारदर्शिता को बढ़ाती है। यह भ्रष्टाचार की किसी गुंजाइश को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

5. **उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)** : सभी कोयला कंपनियों ने संचालन में दक्षता और पारदर्शिता के लिए ईआरपी को शुरू किया है।

****